पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 16/2024

अनवान : –

1. रणवीर सिंह पुत्र भगवानाराम सिंवर जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. फुसाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सुभाष चन्द्र पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. दुर्गा देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. भगवानाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. रामप्यारी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. शान्ती पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
8. रोशनी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
9. गिरदावरी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
10. कान्ता पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. प्रेमकुमारी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 16 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/65 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 13.8080 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार किया जाता है एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Gadhwal
Date: 2024.03.28 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 16/2024

अनवान : –

1. रणवीर सिंह पुत्र भगवानाराम सिंवर जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. फुसाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सुभाष चन्द्र पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. दुर्गा देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. भगवानाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. रामप्यारी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. शान्ती पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
8. रोशनी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
9. गिरदावरी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
10. कान्ता पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. प्रेमकुमारी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/65 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 13.8080 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 9 जो कि वादी की बुआ है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 10 ता 11 जो कि प्रतिवादीया संख्या 3 की पुत्रियां व प्रतिवादी संख्या 4 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेनी चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया संख्या 6 ता 11 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/65 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 13.8080 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है शेष 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/65 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 13.8080 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के कथन को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/65 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 13.8080 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार किया जाता है एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर